

शपथ पत्र

निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु अनापति प्रमाण पत्र/शपथ पत्र

कार्य का नाम

मंड

हम सभी गांववासी ये लिखित रूप में देते हैं कि उपरोक्त कार्य मद

स्वीकृत है जिसका निर्माण/मरम्मत करवाने

के लिए हम सब सहमत हैं। पंचायत उपरोक्त कार्य का निर्माण करवाती है तो हमें उस कार्य को होने से कोई भी आपति नहीं है और इस कार्य हेतु जो भी भू-भाग प्रयोग किया जाएगा उससे हमें कोई आपति नहीं है इस संदर्भ में यदि निर्माण/मुरम्मत किए जाने वाले कार्य में कोई भी जमीन मालिक बाधा डालता है तो निर्माण कार्य/मुरम्मत कार्य कि राशीहम पंचायत को अदा करेंगे क्योंकि जो अनापति प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं उसमें सभी जमीन मालिकों के हस्ताक्षर किये हैं एसा कोई भी जमीन मालिक नहीं बचा है जिसके हस्ताक्षर अनापति प्रमाण पत्र पर नहीं किये गए हैं। अतः पंचायत निर्माण कार्य/मुरम्मत कार्य के कार्य स्थल कि भूमि निजी स्वामित्व वाली है और इस भूमि पर उक्त कार्य करने हेतु संबंधित भू-पति सहमत हैं तो कार्य पर्ण हो जाने के बाद

संबंधित भू-पति का जो भू-भाग इस कार्य हेतु प्रयोग होगा समस्त गांववासी उसकी प्रविष्टि सारे आम या ग्राम पंचायत के नाम करवा देंगी तथा भविष्य में उक्त भूमि संबंधि विवाद या अन्य किसी दायित्व के लिए जिसके समक्ष ये शपथ पत्र या प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करवाया गया है वो स्वयंभौं साथ में शपथ पत्र पर हस्ताक्षरित किये जमीन मालिक जिम्मेदार होंगे और पंचायत समस्त लोंगों व्यक्ति पर गलत नीति से शपथ पत्र देने के संबंध में कोर्ट केस करने कि पूरी हकदार होगी जिससे हमें कोई इतराज नहीं है। यदि भविष्य में कभी भी कोई बात होती है तो हम जो भू-भाग प्रयोग होगा उसकी प्रविष्टि पंचायत के नाम स्वयं करवा देंगे। अतः मैं अपने पूरे हाशोहवाश में यह कहता हूँ कि इस कार्य से संबंधित कोई भी भूमिपति बिना हस्ताक्षर किये बिना नहीं है इस कार्य हेतु जो भी भूमि कार्य हेतु प्रयोग होगी उन सब के हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं। अतः अब कार्य को शुरू किया जाए। इस कार्य हेतु जो भी हमारी जमीन कार्य हेतु उपयोग में लाई जाएगी उसमें यदि जमीन मालिक कार्य करने में कोई भी आना कानी करता है या बे बजह पंचायत को परेशान करता है तो हम सब गांववासी (जो भी कार्य हेतु निर्माण सामग्री जैसे रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया या ढुलानके बिलों कि अदायगी हेतु) स्वयं करेंगे। इस दशा में पंचायत का इस सामग्री कि अदायगी का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अतः हमारी सहमति है कि निर्माण कार्य/मुरम्मत कार्य को करवाया जाए ये व्यान पंचायत प्रधान/पंचायत उप प्रधान व वार्ड सदस्य या गांव का गणमान्यव्यक्ति श्री/श्रीमती ----- पुत्र/पत्नी श्री/श्रीमती ----- गांव ----- डाकघर ----- तहसील कसौली जिला सोलन (हि.प.) के समक्ष दिए गए व्यान जो कि पूर्ण रूप से गवाह हैमें मंजूर है। अतः पंचायत उपरोक्त कथन के आधार पर उपरोक्त कार्य को करवाने में सक्षम है। अतः गांव ----- के समस्त गांववासियों द्वारा हस्ताक्षरित अनापति प्रमाण पत्र/शपथ पत्र के रूप में ग्राम पंचायत ----- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। समस्त भू-मालिकों के हस्ताक्षर नाम व पते सहित